

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

फा. क्र. 12/2017/चार/रा.स.चु./177.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

1. क्रमांक 100/रा.स.-म.प्र./4/2017(1) दिनांक 21 जुलाई, 2017 को
2. क्रमांक 100/रा.स.-म.प्र./4/2017(2) दिनांक 21 जुलाई, 2017 को

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 21 जुलाई, 2017—आषाढ़ 30, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-म.प्र./4/2017(1).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री अनिल माधव दवे का स्थान, जिसकी पदावधि 29 जून, 2022 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनकी मृत्यु होने के कारण, 18 मई, 2017 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 11 अगस्त, 2017 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गये नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें.

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:—

- | | | |
|-----|--|-------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख | - 28 जुलाई, 2017 (शुक्रवार); |
| (ख) | नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख | - 29 जुलाई, 2017 (शनिवार); |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | - 31 जुलाई, 2017 (सोमवार); |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | - 8 अगस्त, 2017 (मंगलवार); और |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | - 11 अगस्त, 2017 (शुक्रवार); |

नियत करता है;

और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 21st July, 2017—Ashadha 30, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-MP/4/2017(1).—WHEREAS, the seat of Shri Anil Madhav Dave in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, has become vacant on 18th May, 2017 by the reason of death, before the expiration of his term of office which was up to and including the 29th June, 2022; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Now, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, to elect, before 11th August, 2017, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

- (B) **appoints**, with respect to the said election,—
- the 28th July, 2017 (Friday), as the last date for making nominations;
 - the 29th July, 2017 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - the 31st July, 2017 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 8th August, 2017 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 11th August, 2017 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours from 9.00 A.M. to 4.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)

Sr. Principal Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 21 जुलाई, 2017—आषाढ़ 30, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-म.प्र./4/2017(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 21 जुलाई, 2017, को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में, एतद्द्वारा:—

- नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (2)
प्रधान सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.	1. श्री राकेश कुशरे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश. 2. श्री पी. एन. विश्वकर्मा, अपर सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

आदेश से,
हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 21st July, 2017—Ashadha 30, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CS-MP/4/2017(2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby—

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions; in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 21st July, 2017:—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly.	1. Shri Rakesh Kushre, Deputy Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh Legislative Assembly. 2. Shri P. N. Vishwakarma, Additional Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly.

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)
Sr. Principal Secretary to the
Election Commission of India.